पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बावत मुकदमा की तामील रजि. एडी. से करवाई गई। विपक्षीगण की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी के दिनांक 5/11/19 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

5/11/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी अवकाश में होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/बार ~~एसोसिएशन की प्रार्थना से~~ पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 3/12/19 को पेश हो।

3/12/19 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में~~ होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/बार ~~एसोसिएशन की प्रार्थना से~~ पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 14/1/20 को पेश हो।

14/1/20 पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठासीन अधिकारी ~~अवकाश में~~ होने/अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त होने/बार ~~एसोसिएशन की प्रार्थना से~~ पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी दिनांक 4/2/20 को पेश हो।

प्र०स० 2012/00102, 126/2012

4.2.2020 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित विपक्षीगण की ओर से बावजूद सूचना के कोई उपस्थित नहीं न जवाब पेश हुआ विपक्षीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र

प्र० स० 2012/00102

का अवलोकन कर मनन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात उनकी पैतृक खातेदारी है किन्तु मूल मृतक खातेदार गोधावत की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तरकरण उनके वारिसान के नाम दर्ज किया तथा प्रार्थीगण मृतक की पुत्रियाँ होते हुए भी विरासत में नाम दर्ज नहीं कर पैतृक खातेदारी से वंचित किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है. सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में. अगर स्थगन आदेश जारी नहीं किया जाता तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की सम्भावना है इन तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA बाहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण के स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक बाहक प्रार्थीगण विरुद्ध विपक्षीगण में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि ग्राम निमालो की नवीन खा.नं 23 रकबा 3.09 है, खा.नं. 162 रकबा 1.08 किता 2 रकबा 4.17 है खातेदारी के रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखें, प्रार्थीगण के हिस्से में दखलंदाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे तथा वादग्रस्त आराजीयात को रहन बय, बख्शीश या किसी तरह से हस्तान्तरित न करें रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें,

पत्रावली फैसला शुमार होकर नक्कार से जमा हो।

RAS
(सुन्दरलाल बाम्बोड)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.02.06 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: